



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2002/चैत्र 1, 1924

No. 284]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2002/CHAITRA 1, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2002

का.आ. 328(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम नियम, 1976 के नियम 200 के अनुसरण में, मुख्य नियंत्रक के परामर्श पर, नियम 16 के उपबंधों से अनुदत्त छूट को एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 183(अ) तारीख 23 मार्च, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. पी-23011/47/98-एसयूपी]

ए. के. दूबे, निदेशक

टिप्पण.—पेट्रोलियम नियम, 1976 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 479(अ) तारीख 30 जून, 1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका समय-समय पर संशोधन किया गया तथा अंतिम संशोधन का.आ. 1254(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2001 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 22nd March, 2002

S.O. 328(E).—In pursuance of rule 200 of the Petroleum Rules, 1976, the Central Government on the recommendation of the Chief Controller hereby extends the exemption granted from the provisions of rule 16 for a further period of one year and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 183(E) dated the 23rd March, 1999, namely:—

In the said notification, in paragraph 1, for the words "three years", the words "four years" shall be substituted.

[F. No.P-23011/47/98-Sup]

A. K. DUBEY, Director

Note.—The Petroleum Rules, 1976 were published in the Gazette of India vide number GSR 479(E) dated 30th June, 1976 and amended from time to time and lastly amended vide S.O. 1254(E) dated 22nd December, 2001.